शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सेवायें/ 5678-98 /2013–14 दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषयः **लम्बी अवधि से अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभाग में कतिपय शिक्षक–शिक्षिकायें लम्बे समय से अनियमित रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं, जिससे विद्यालयों में पठन–पाठन कार्य सुचारू रूप से संचालित नही हो पा रहा है। साथ ही यह कर्मचारी आचरण नियमावली का भी उल्लंघन है। ऐसे समस्त शिक्षक–शिक्षिकाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अनियमित रूप से एक माह या उससे अधिक समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक–शिक्षिकाओं (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/स.अ.एल.टी./प्रवक्ता) के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2010 में उल्लिखित प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुये **दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 तक** अधोहस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय :–

क. सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	विद्यालय का नाम	कब से अनुपस्थित थे	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6

उक्त के साथ ही बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों का विवरण भी संकलित कर लिया जाय तथा उनके विरूद्ध अद्यतन कार्यवाही की स्थिति से भी महानिदेशालय को अवगत कराया जाय।

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./सेवायें/ 5678-98/(2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

o/c